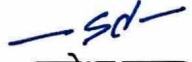


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट)
अधिसूचना संख्या : 01/2025
नई दिल्ली: 27 अगस्त, 2025

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5एफ के सहपठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii)ए के तहत आदेश

आयकर नियमावली 1962 के नियम 5एफ के सहपठित; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए; प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), दिल्ली; मेसर्स आई आई टी मद्रास रिसर्च पार्क (AABCI5225P), एच पी लैब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तारामणी, टी टी तारामणी, एस ओ चेन्नै, तमिलनाडू -600113 को धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड(ii) ए के प्रयोजनार्थ 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिए, एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करते हैं।

(ख) यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2030 तक, अर्थात निर्धारण वर्ष 2026-27 से निर्धारण वर्ष 2030-31 तक, पांच निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी।


(राजेश्वर यादव)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), नई दिल्ली

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1) प्रधान निजी सचिव - अध्यक्ष तथा सभी सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
- 2) आयकर विभाग के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ आयकर महानिदेशक को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इसे अपने क्षेत्राधिकार में सभी अधिकारियों को परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- 3) संयुक्त सचिव (टी.पी.एल)-I व II/ मीडिया समन्वय अधिकारी तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता।
- 4) डीआईटी(आईटी)/डीआईटी(ऑडिट)/डीआईटी(सतर्कता)/एडीजी(सिस्टम) 1,2,3,4,5/सीआईटी(आईटीबीए), सीआईटी(सीपीसी), बेंगलुरु, सीआईटी(सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद।
- 5) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के अनुरोध के साथ एडीजी (पीआर.पीपी एवं ओएल)।
- 6) सीबीडीटी के टीपीएल और आईटीए प्रभाग।
- 7) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 8) वेब मैनेजर को, वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" पर होस्टिंग के लिए।
- 9) डेटाबेस सेल www.irs-officersonline.gov.in और डी.जी सिस्टम कॉर्नर पर अपलोड करने के लिए।
- 10) आईटीबीए प्रकाशक को आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(सतबीर सिंह)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय) (ई)-1

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), नई दिल्ली

सतबीर सिंह

आयकर अधिकारी (मुख्यालय) (छूट)-1

कमरा नं. 2508, ई-2 ब्लॉक,
प्रत्यक्ष कर भवन, सिविक सेन्टर,
नई दिल्ली-110002

